Integrated Child Development Services

कार्यालय परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना पसान, जिला – कोरबा (छ.ग.)

Integrated Child Development Services

==========

//सहायिका हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना//

क्र./521/नियु./बाविपरि/2026–27 पसान, दिनांक 29/10/2026

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन के आदेश क्र/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02.04.2008 एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़,इंद्रावती भवन, ब्लॉक–1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक /IT/830/2025&WCD HOD IT SECTION IT नवा रायपुर, दिनांक 05.01.2026 के परिपालन में कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना पसान, जिला कोरबा छ.ग. के अंर्तगत निम्नलिखित स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु योग्य महिला उम्मीदवारों से नीचे दर्शाये शर्त के अधीन आवेदन पत्र **दिनांक 11/11/2026 से 26/11/2026 तक ऑनलाईन पोर्टल** के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा डाक से प्रेषित आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। सभी प्रक्रिया ऑनलाईन संपादित की जायेगी। आवेदन करने हेतु नवीन पोर्टल **https://aww.e-bharti.in/** मे पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी हेतु उक्त पोर्टल में उपलब्ध **उपयोकर्ता मेनुअल** की सहायता ली जा सकती है।

क्र.	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आं.बा. केंद्र का नाम	पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	पसान	पसान	पसान	बोकरामुड़ी	आ.बा सहायिका
2	तनेरा	तनेरा	तनेरा	बिलासपुर मोहल्ला	आ.बा सहायिका

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं है:–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका को आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जावेगी। **(आयु की गणना सूचना जारी होने के दिनांक से की जायेगी)**
2. आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिये। जिस ग्राम में आंगनबाडी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिये।)
3. **निवासी होने के प्रमाण में**

(1) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कंमाक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे। अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

(2) यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

4. **आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिये।**

सहायिका हेतु	8वी पास

टीपः— उपरोक्तानुसार परियोजना में कोई सहायिका पद हेतु कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर 8वीं उत्तीर्ण व उसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर 5 वीं उत्तीर्ण योग्यता रखी जावेगी। सहायिका पद हेतु उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता के कोई भी आवेदन प्राप्त नही होते है तो शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उससे कम शैक्षणिक योग्यता पर भी विचार किया जायेगा। **(8 वीं की परीक्षा ग्रेड प्रणाली से उत्तीर्ण होने वाले आवेदिकाओं को ग्रेड प्रमाण प्रत्र के साथ साथ प्रधान पाठक से जारी अंकसूची पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा । अन्यथा ग्रेड के न्यूनतम अंक को आधार मानकर मूल्यांकन किया जावेगा।)**

5. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका होने पर **संबंधित परियोजना अधिकारी** द्वारा जारी **अनुभव प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करने पर अंक दिया जायेगा।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति की आवेदिका को **सक्षम अधिकारी** द्वारा जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी आवेदिका द्वारा अस्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत किया जाता है तो यह भापथ पत्र देना होगा कि 6 माह के भीतर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी अन्यथा नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
7. **विधवा महिला** को जन्म/मृत्यु के पंजियन हेतु विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी **मृत्यु प्रमाण** पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. **परित्यकता महिला** को सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित एवं नगरीय निकाय में वार्ड पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पंचनामा सहित परित्यकता महिला के संबंध में **2 वर्ष से अधिक** के अवधि को ही मान्य किया
9. **तलाकशुदा महिला** को विवाह विच्छेद होने संबंधी **माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश** की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर प्रभावशील सूची प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में समाजिक, अर्थिक एवं जाति **जनगणना 2011** के सर्वे सूची के स्वतः शामिल सूचकांक तथा वंचन सूचकांक अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाना है।
11. अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित **कन्या आश्रम** में 8 वीं तक अध्ययन करने संबंधी संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. समस्त दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ ही स्वप्रमाणित करके ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदिका द्वारा आवेदन करने के अंतिम तिथि के बाद अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार नही किये जायेंगे।
14. आंगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है इन्हे केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

सधोजाक 20/10/26

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
पसान,जिला – कोरबा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

पृ. कमांक /522/ नियु. / बाविपरि / 2026–27 पसान, दिनांक 29.10.2026

प्रतिलिपी :–

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी म.बा.वि. जिला– प्रकोष्ठ कोरबा को सादर सूचनार्थ ।
2. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ व समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पसान जिला कोरबा की ओर सुचनार्थ प्रस्तुत।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड पसान जिला कोरबा की ओर सुचनार्थ प्रस्तुत।
5. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र पसान जिला कोरबा की ओर सुचनार्थ प्रस्तुत।
6. सरपंच संबंधी ग्राम पंचायत विकासखण्ड पसान को सूचना संबंधी मुनादी कराने हेतु अग्रेषित।
7. संबंधित पर्यवेक्षक सेक्टर अधिनस्थ क्षेत्रों में सूचित कर पालनार्थ ।

29/10/26

सहायक

परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास परियोजना

पसान,जिला – कोरबा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner